

विकय-विलेख

(आवासीय भवन)

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर जरिये श्री
गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा आवंटित भवन का स्वामित्व प्राप्त किये जाने हेतु यह विलेख
सन् 2017 ई0 मास के दिन
के दिनों तदनुसार शक् सम्मत 1939 मास के
दिनको जिसको एतदपश्चात् " प्रथम पक्ष "

कहा गया है तथा श्री/श्रीमती/कुमारी

.....निवासी ग्राम/मोहल्ला
.....डाकखानातहसील
.....जिला-जिसको एतदपश्चात् " द्वितीय पक्ष " कहा गया है के मध्य
निष्पादित किया जाता है ।

और चूँकि इस विलेख की अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि " द्वितीय पक्ष " को आवंटित
हुआ था । आगे अभिव्यक्त अधिकारों एवं शर्तों के अधीन अनुसूची में निर्दिष्ट भवन का स्वामित्व मूलधन
रु0- व ब्याज रु0-इस प्रकार कुल
रु0- (शब्दों में कुल रूपया
.....एवं पैसे मात्र) के एवज में " द्वितीय पक्ष " को हस्तान्तरित किया जाना
है ।

और चूँकि " प्रथम पक्ष " द्वारा द्वितीय पक्ष को अनुसूची में वर्णित भवन
संख्या का स्वामित्व प्रयोजन हेतु दिया जाना स्वीकार
कर लिया गया है ।

और चूँकि जनपद गोरखपुर की महायोजना/आस-पास की भूमि के उपयोग के
आधार पर वर्तमान में उक्त वर्णित भवन का उद्देश्य हेतु उपयोग किया
जाना है ।

अतः " द्वितीय पक्ष " द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि का उपयोग महायोजना में निर्दिष्ट
आस-पास के भूमि के भू-उपयोग के अनुसार ही किया जायेगा ।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश
नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संपठित एवं शासनादेश संख्या
1639/9-आ-1-95-80मिस/96 दिनांक 10 मई 1995 तथा शासनादेश संख्या
1778/9-आ-1-95-89मिस/86 दिनांक 25.05.1995 के अनुसरण में निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि
अनुसूची में वर्णित भवन/भूखण्ड का स्वामित्व " द्वितीय पक्ष " में घोषित किये जाने हेतु " द्वितीय पक्ष
" द्वारा " प्रथम पक्ष " को मूलधन रु0- व ब्याज रु0-
इस प्रकार कुल रु0- (शब्दों में कुल रूपया
.....एवं पैसे मात्र) गोरखपुर विकास

प्राधिकरण, गोरखपुर स्थित कोषागार में चेक/बैंक ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान/रसीद संख्या
.....दिनांक द्वारा किये गये भुगतान जिसकी प्राप्ति " प्रथम पक्ष "

एतद्वारा स्वीकार करता है, के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसविदाओं और शर्तों जिनका " द्वितीय
पक्ष " पालन करेगा, को ध्यान में रखकर " प्रथम पक्ष " एतद्वारा वह सब भूमि उसकी सीमाओं सहित
जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है, और स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से
संलग्न रेखा चित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है, फ्रीहोल्ड घोषित करते हैं और उस पर " द्वितीय पक्ष

“ का निजी स्वत्व प्रदान करते हैं । अतएव “ द्वितीय पक्ष ” उसके दावाधिकारी तथा समनुदेशितों सदा के लिए उसे अपने अधिकार में रखेंगे ।

इस विलेख के निष्पादन के दिनांक से इसकी अनुसूची में वर्णित भवन/भूखण्ड पर “ द्वितीय पक्ष ” को निजी स्वत्व प्राप्त हो जायेगा और वह उसे स्वेच्छा से प्रभावी विधि नियमों एवं विनियमों के अधीन किसी भी प्रकार हस्तान्तरित कर सकेगा । भूखण्ड या उस पर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करें अथवा उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करें का भुगतान करेगा ।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर दोनों पक्षों या उनके दावेदारों के बीच कभी भी कोई विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न उत्पन्न होने पर उसे राज्य सरकार के आवास विभाग को सन्दर्भित किया जायेगा जिसपर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में होने वाला सम्पूर्ण व्यय “ द्वितीय पक्ष ” द्वारा वहन किया जायेगा ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द “ प्रथम पक्ष ” और “ द्वितीय पक्ष ” के सम्बन्ध में जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, “ प्रथम पक्ष ” में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितों का तथा द्वितीय पक्ष में उसके दावाधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों एवं समनुदेशितों का अर्न्तभाव सदैव रहेगा ।

इस विलेख के साक्ष्य में “ द्वितीय पक्ष ” ने “ प्रथम पक्ष ” की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उक्त तिथि को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी है ।

विलेख में अभिदिष्ट अनुसूची निम्नवत है :-

भवन संख्या स्थित
मुहल्ला..... कुल रकबावर्ग मीटर
एवं निर्माण से आच्छादित क्षेत्रफल वर्ग मीटर, आर०बी०सी०/आर०सी०सी० है,
जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

पूरब -
पश्चिम -
उत्तर -
दक्षिण -

फ्रीहोल्ड के लिए “ द्वितीय पक्ष ” ने सम्पूर्ण धनराशि
रु०- सरकारी कोषागार, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर में चालान/रसीद
संख्या दिनांक द्वारा जमा कर दी है ।

उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण की ओर
से तथा उनके द्वारा प्राधिकृत ।

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

नाम
.....
.....
पता
.....
.....

साक्षी :-

(1)

(1)

(2)

(2)